न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी ।
पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 15/2019

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
01. सिरीयादेवी पुत्री स्व0 माणकराम, पत्नि श्री चुन्नीलाल, जाति माली, निवासी ग्राम नवोड़ा बेरा, सरकारी स्कूल के सामने, ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर । 02. स्व0 मोहनीदेवी पुत्री स्व0 श्री माणकराम, पत्नि स्व0 श्री गोपाराम, के कायम मुकामः– 02/01. पुखराज पुत्र स्व0 गोपारामजी, जाति माली, निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर । 02/02. पुष्पादेवी पुत्री स्व0 श्री गोपाराम, पत्नि श्री छोटाराम, जाति माली, निवासी बालेसर सत्ता, तहसील बालेसर, जिला जोधपुर । 02/03. ओमादेवी पुत्री स्व0 श्री गोपाराम, पत्नि श्री ओमप्रकाश, जाति माली, निवासी ग्राम चौखा, तहसील व जिला जोधपुर । 02/04. शान्तादेवी पुत्री स्व0 श्री गोपाराम, पत्नि श्री चम्पालाल, जाति माली, निवासी दुर्गावता ढ़ाणी, बालेसर, जिला जोधपुर । 02/05. तारादेवी पुत्री स्व0 श्री गोपाराम, पत्नि श्री राजेन्द्र, जाति माली, निवासी नेनसी बाग, सूरसागर, जोधपुर । 02/06. छैनादेवी पुत्री स्व0 गोपाराम, पत्नि श्री बाबुलाल, जाति माली, निवासी ग्राम पाल, तहसील व जिला जोधपुर । 02/07. अरूणादेवी पुत्री स्व0 श्री गोपाराम, पत्नि श्री राजुराम, जाति माली, निवासी आतुणा बेरा, कैरू, जिला जोधपुर ।		01. गंगाराम पुत्र स्व0 श्री माणकराम, जाति माली, निवासी बत्ती के पास, खेमे का कुंआ, जिला जोधपुर ।

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति –

1. प्रार्थीगण की और से अधिवक्ता श्री प्रेमकुमार देवड़ा ।
2. अप्रार्थी की और से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, सिद्धार्थ परिहार ।

आदेश दिनांक :–

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

पत्रावली पर पूर्व में बहस सुनी गयी । पत्रावली आज वास्ते आदेश हेतु प्रस्तुत हुई । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि राजस्व ग्राम तनावड़ा, तहसील लूणी, जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा संख्या 36/6 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 36/13 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा, कुल खसरें दो कुल रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा आयी हुई स्थित हैं । उक्त दोनो खसरान की भूमियां मूल खसरा संख्या 36 कुल रकबा 91 बीघा का भाग हैं । खसरा संख्या 36 के मूल रूप से कानूनन चार हिस्सेदार थे कमशः नारायणराम, दीपाराम, जमनीराम एवं माणकराम । उक्त चारों हिस्सेदार रिड़मलजी के पुत्र थे । रिड़मलजी वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व ही फौत हो चुके थे एवं उनके सबसे ज्येष्ठ पुत्र नारायणरामजी भी वक्त सेटलमेन्ट से पूर्व ही फौत हो चुके थे । दीपारामजी संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता व मुखिया थे इसलिये उक्त भूमि का पटटा श्री दीपारामजी के नाम का ही जारी हो गया लेकिन उक्त भूमि पर कब्जा काश्त व उपभोग इस भूमि पर चारों हिस्सेदारों एवं इनके वारिसानों का था । चूंकी उक्त कृषि भूमि मूल रूप से कमशः नारायणराम, दीपाराम, जमनीराम, एवं माणकराम की बहिस्सा बराबर बराबर थी एवं कब्जा काश्त भी उनका ही था तत्पश्चात दीपारामजी के भी फौत होने से उक्त कृषि भूमि पूर्व में उनके पुत्रगण भीकाराम, पृथ्वीराज व कालुराम के नाम से दर्ज कर दी गयी लेकिन उक्त भूमि में नारायणराम, जमनीराम एवं माणकरामजी का भी 1/4–1/4 हिस्सा था उक्त हिस्से बाबत् किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था इसलिये उन्होने आपसी सहमती से 1/4 हिस्सा नारायणरामजी के वारिसान के नाम से दर्ज करवाया एवं इसी प्रकार से 1/4 हिस्सा जमनीरामजी के वारिसान के नाम से दर्ज करवाया एवं इसी प्रकार से 1/4 हिस्सा दीपारामजी के वारिसान के नाम से दर्ज करवाया गया एवं इसी प्रकार से 1/4 हिस्सा माणकरामजी के केवल मात्र पुत्र अप्रार्थी संख्या एक गंगारामजी के नाम से दर्ज करवाया गया । उक्त विवादग्रस्त भूमि का जो 1/4 हिस्सा यानि रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि स्व0 माणकरामजी के एक मात्र पुत्र गंगारामजी के नाम से दर्ज की गयी हैं वह केवल मात्र पुत्र गंगाराम के नाम से ही दर्ज नहीं की जाकर माणकराजी के पुत्र गंगाराम एवं पुत्रिया मोहनीदेवी व सिरीयादेवी के नाम से भी दर्ज की जानी चाहिये थी लेकिन अप्रार्थी संख्या एक गंगारामजी ने आपसी मिलीभगत करके अपनी बहनों का नाम दर्ज ही नहीं करवाया । प्रार्थी संख्या 2/1 से 2/7 की माताजी श्री मति मोहनीदेवी का स्वर्गवास लगभग तीन वर्ष पुर्व ही हो चुका हैं एवं प्रार्थी संख्या एक सिरीयादेवी जीवित हैं । चूंकी गंगारामजी के नाम से जो खसरा संख्या 36/6 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा संख्या 36/13 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा, कुल खसरें दो कुल रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा भूमि हैं उस पर प्रार्थीगण अपने 2/3 हिस्से की भूमि पर काबिज हैं एवं काश्त करते हैं । प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या एक के मध्य माह फरवरी 2019 तक किसी प्रकार का कोई विवाद कब्जे काश्त को लेकर नहीं रहा लेकिन दिनांक 02.02

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
लूणी

2019 को प्रार्थीनी संख्या एक के भाई एवं प्रार्थीगण संख्या 2/1 से 2/7 के मामाजी ने कहा कि उक्त भूमि का हकतर्कनामा मेरे पक्ष में कर देवें एवं अपना कब्जा वहां से खाली कर देवे आपका किसी प्रकार काक ोई नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज ही नहीं हैं मैं मेरा नाम दर्ज होने के कारण उक्त भूमि का बेचान करूंगा । प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या एक से उक्त कृषि भूमियां बेचान नहीं करने हेतु निवेदन किया लेकिन अप्रार्थी संख्या एक नहीं माना एवं ऐलानिया धमकी दी कि तुम लोग अपना कब्जा छोड़ देना यदि नहीं छोड़ा तो मैं भू-माफिया लोगों को औने पौने दामों में ही उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमियों का बेचान कर दूंगा वं खरीददार अपने आप आपसे कब्जा छुड़वा लेंगे अन्यथा कुछ पैसे लेकर अपना कब्जा छोड़ देवें एवं मेरे पक्ष में सम्पूर्ण अपने हिस्से की भूमि का हकतर्कनामा कर देवे । इसके पश्चात प्रार्थीगण ने पटवारी हल्का के पास से उक्त खसरान की कृषि भूमियों की नकलें ली तो प्रार्थीगण को उक्त नकलें देखने से आश्चर्य हुआ कि वास्तव में उक्त खसरान की कृषि भूमियां केवल मात्र अप्रार्थी संख्या एक के नाम से ही दर्ज हैं । प्रार्थीनी संख्या एक एवं प्रार्थीगण संख्या 2/1 से 2/7 की माताजी का नाम कभी दर्ज ही नहीं हुआ । इस पर प्रार्थीगण ने तुरन्त ही पुराने राजस्व रेकर्ड की नकलें भी प्राप्त की जिससे प्रार्थीगण को ज्ञात हुआ कि दीपारामजी के वारिसान द्वारा जब अप्रार्थी संख्या एक का नाम दर्ज करवाया गया उस समय माणकरामजी का देहान्त हो चुका था इसलिये अप्रार्थी संख्या एक ने बाले बाले ही केवल मात्र खुद का नाम जी दर्ज करवा दिया जबकि माणकरामजी की पुत्रियों का नाम दर्ज ही नहीं करवाया गया जबकि जब अप्रार्थी संख्या कए का नाम दर्ज करवाया गया तब उक्त भूमि में प्रार्थीगण का नाम भी राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवाया जाना चाहिये था । अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थीगण को उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमियों से बेदखल कर भूमि का हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं जबकि उन्हें ऐसा करने के कोई अधिकार नहीं हैं इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय में वाद पेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाता हैं एवं उपरोक्त खसरान की कृषि भूमियों से अप्रार्थी प्रार्थीगण को उक्त भूमियों से बेदखल कर भूमि का हस्तान्तरण करने पर उतारू हैं जबकि उन्हें ऐसा करने के कोई अधिकार नहीं हैं इन परिस्थितियों में प्रार्थीगण के पास माननीय न्यायालय में उक्त विवादग्रस्त भूमि में अपने अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहा जाता है । अप्रार्थी को मनमाने ढ़ंग से हस्तान्तरण करने से यदि तुरन्त प्रभाव से नहीं रोका गया तो वे भूमि के विशेष भाग को अपना बताकर हस्तान्तरण कर देंगे जिससे प्रार्थीगण को अपार नुकशान होगा एवं उनका यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का उद्धेश्य ही निष्फल हो जायेगा । भूमि का आगे से आगे हस्तान्तरण होने से नये विवाद पैदा होंगे एवं वाद बाहुल्य होगा मौके एवं राजस्व रेकर्ड के हालात में बदलाव आ जाने से माननीय न्यायालय को भी वाद का अंतिम विनिश्चयन करने में कठिनाईयां आवेंगी ।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमियों में कानूनन हक, हिस्सा होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में हैं एवं अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें ।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी संख्या एक को नोटिस जारी किया गया जिस पर नोटिस तामिल होने पर उनकी तरफ से अधिवक्ता श्री सुगनमल परिहार, एवं सिद्धार्थ परिहार ने अपना वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा अप्रार्थी संख्या एक की और से जवाब भी प्रस्तुत किया । अपने जवाब में अप्रार्थी संख्या एक ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी गयी तथा अप्रार्थी अधिवक्ता की और से लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी । अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया इसके विपरित अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपने जवाब अनुसार खण्डन करते हुए प्रार्थना पत्र अस्वीकार किये जाने का निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा 212 राज. काश्त. अधिनियम की पत्रावली व मूल दावें के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया । चूंकी प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र एवं राजस्व वाद पैतृक सम्पत्ति होने के आधार पर प्रस्तुत किया हैं तथा अपने पिता माणकरामजी के हक हिस्से की भूमि होने का कथन करते हुए प्रस्तुत किया हैं ऐसी स्थिति में पूर्व में जो एक वाद अप्रार्थी संख्या एक सहित अन्य ने भीकाराम वगैरा के विरूद्ध प्रस्तुत किया था जो कि बअनवान गोविन्दराम वगैरा बनाम भीकाराम वगैरा राजस्व वाद संख्या 113/91 हैं उस वाद में स्वयं अप्रार्थी संख्या एक ने उक्त वाद में कथन किया कि उक्त खसरा संख्या 36 की भूमि हमारी पैतृक पुश्तैनी कृषि भूमि हैं । रिड़मलजी हमारे पूर्व पुरूष थें तथा उनके चार पुत्र हुए थे–क्रमशः नारायणराम, दीपाराम, जमनीराम, व माणकराम । इन सभी का देहान्त हो चुका हैं तथा श्री रिड़मलजी के पुत्रों का संयुक्त हिन्दु परिवार था तथा दीपारामजी हमारे संयुक्त हिन्दु परिवार के कर्ता व मुखिया थे इसलिये उक्त भूमि का पटटा दीपारामजी के नाम का ही जारी किया गया जबकि कब्जा व काश्त हम सभी का रहा हैं । ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या ही प्रमाणित होता हैं कि उक्त खसरा संख्या 36 की भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की पैतृक पुश्तैनी भूमि थी तथा अप्रार्थी संख्या एक ने अपने पिता के देहान्त हो जाने पर बाले बाले ही प्रार्थीगण की जानकारी के बिना राजस्व वाद के जरिये अपना नाम दर्ज करवा दिया जबकि पैतृक पुश्तैनी संयुक्त हिन्दु परिवार की भूमि होने से तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण स्व0 माणकराजी के वारिसान होने के कारण प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं । यदि अप्रार्थी विवादग्रस्त कृषि भूमि को आगे से आगे बेचान कर देता हैं तो अनावश्यक ही वाद बाहुल्य होगा तथा बेचान होने से अप्रार्थी तथा खरीददार प्रार्थीगण को बेदखल भी कर सकते हैं ऐसी स्थिति में

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधि...
लूणी

अप्रार्थी की अपेक्षा प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति अधिक होगी तथा सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं ऐसी स्थिति में तीनो ही बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता हैं तथा वाद के निस्तारण तक उक्त विवादग्रस्त कृषि भूमि को सुरक्षित रखा जाना उचित जान पड़ता हैं ।

आदेश

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता हैं कि ग्राम तनावड़ा तहसील लूणी, जिला जोधपुर के खसरा संख्या 36/6 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 36/13 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा कुल खसरे दो कुल रकबा 22 बीघा 15 बिस्वा का मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या एक बेचान हस्तान्तरण नहीं करें तथा राजस्व रेकर्ड व मौके की आज की यथा स्थिति कायम रखें तथा प्रार्थीगण को उनके 2/3 हिस्से की भूमि पर सामलाती काश्त से वंचित नहीं करें तथा न ही बेदखल करें तथा तहसीलदार लूणी राजस्व रेकर्ड व मौके की आज की यथास्थिति ताफैसला मूल वाद तक कायम रखें । आदेश सुनाया गया । पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफतर हों ।

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी